[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 10/2021- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मई, 2021

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल 2019, जिसे सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 23 अप्रैल 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के तीसरे अनुच्छेद में पहले परंतुक के पश्चात, निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-04** में विवरणी मई 2021 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।"।

2॰ यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 30 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीईसी- 20/06/08/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव , भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 21/2019- केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल 2019, सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं॰ 64/2020 - केन्द्रीय कर, दिनांक 31 अगस्त 2020, जिसे सा.का.नि. 539 (अ), दिनांक 31 अगस्त 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।